

### **DISCLAIMER**

- a) Candidates are advised to read the Information Bulletin and carefully go through the instructions regarding filling of online application form given on FMGE website www.fmge.gov.nbe.in before starting online registration and scheduling process for FMGE December 2016.
- b) Candidate should ensure that all information entered during the online registration process is correct.
- c) If any information is incorrect and needs to be updated, click the "Edit Profile" or "Edit Application" buttons to make appropriate changes in the area where the correction needs to be made. Candidates will be able to edit their profile till 31st October 2016.
- d) Candidates will receive the admit card within 24 hours of scheduling at their registered email address. Registered candidates can also login into their profile using the username and password to print a copy of the admit card. Candidates are advised to make sure all candidate details like name, category, PWD (PH) status, date of birth, gender etc printed on the admit card is correct.
- e) Online information provided by candidates like name of candidate, contact/ address details, category, PWD status, educational qualification details, date of birth, domicile etc during online registration and scheduling process for FMGE December 2016 will be treated as correct and NBE will not entertain, under any circumstances, any request for change in information provided by the candidates after the registration window i.e. 31st October 2016.
- f) NBE disclaims any liability that may arise to a candidate(s) due to incorrect information provided by the candidate during online registration and scheduling process.
- g) NBE does not edit /modify/alter any information entered by the candidates at the time of online registration under any circumstances. Candidates have the opportunity to make any correction in the information provided by them during online registration till the end of Registration Window i.e. 31st October 2016. Any request for change in information thereafter will not be entertained. Therefore, aspirants are advised to exercise utmost caution for filling up correct details in registration system.



### उद्घोषणा

- क) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एफएमजीई दिसंबर 2016 के लिये ऑनलाइन पंजीकरण और अनुसूचीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले सूचना बुलेटिन और एफएमजीई वेबसाइटः www.fmge.gov.nbe.in पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
- ख) उम्मीदवारों को सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान दर्ज़ की गई सभी सूचना सही है।
- ग) यदि कोई भी सूचना गलत है और उद्यतन किये जाने की ज़रूरत है, उन क्षेत्रों में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिये जहां पर सुधार किये जाने की आवश्यकता है, "Edit Profile" अथवा "Edit Application" बटनों पर क्लिक करें। उम्मीदवार 31 अक्तूबर, 2016 तक अपनी प्रोफाइल को संपादित कर सकेंगे।
- घ) उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ई—मेल पते पर अनुसूचीकरण के 24 घण्टे के भीतर प्रवेश—पत्र प्राप्त होगा। पंजीकृत उम्मीदवार प्रवेशपत्र की प्रति प्रिंट करने के लिये यूजर नाम और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए अपनी प्रोफाइल में भी लॉग इन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि प्रवेश—पत्र पर मुद्रित विवरण जैसे कि नाम, श्रेणी, पीडब्ल्यूडी (शा.वि.) दर्ज़ा, जन्म तिथि, लिंग आदि सही है।
- ङ) एफएमजीई दिसंबर 2016 के लिये ऑनलाइन पंजीकरण और अनुसूचीकरण प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उपलब्ध करवाई गई ऑनलाइन सूचना, जैसे कि उम्मीदवार का नाम, संपर्क / पते का विवरण, श्रेणी, शावि दर्जा, शैक्षणिक अर्हता विवरण, जन्म तिथि, अधिवास आदि को सही माना जायेगा और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड किसी भी स्थित में पंजीकरण विंडो बंद होने अर्थात 31 अक्तूबर 2016 के उपरांत उम्मीदवारों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में कोई भी परिवर्तन के लिये किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
- च) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ऑनलाइन पंजीकरण और अनुसूचीकरण प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध करवाई गई गलत सूचना के कारण उम्मीदवार के लिये उत्पन्न किसी भी स्थिति की जिम्मेदारी नहीं लेता।
- छ) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड किसी भी स्थिति में ऑनलाइन पंजीकरण के समय उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई किसी भी सूचना को संपादित/संशोधित/परिवर्तित नहीं करता है। उम्मीदवारों के पास उनके द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान उपलब्ध करवाई गई सूचना में कोई भी सुधार करने का अवसर पंजीकरण विंडो बंद होने अर्थात 31 अक्तूबर 2016 तक उपलब्ध है। इसके बाद सूचना में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रणाली में सही विवरण भरने के लिये पूरी सावधानी बरतें।

### **CONTACT US**

- 1. Please make use of the FAQs and information in this information bulletin & website to guide you through the entire process and help answer most of your queries.
- 2. In case you are still facing issues, then NBE Candidate Care Support is available by phone and email.
- 3. The Integrated Voice Response System (IVRS) will be available starting from **26**<sup>th</sup> **September 2016** on 0124-6771700 & 1800 11 1700 (Toll Free).
- 4. Phone support will be available during these times:
  - 26<sup>th</sup> September, 2016 to 13<sup>th</sup> December, 2016: 9:30AM to 5:30 PM from Monday to Friday
  - 14th December, 2016 (testing window) 8:00 AM to 7:00 PM
- Webmail support will be available from 26<sup>th</sup> September, 2016 to 14<sup>th</sup> December, 2016.
   Queries received by webmail will be responded to within 3 working days. Do not send the same email multiple times, as it will delay the response process.

#### 6. **CONTACT NBE:**

Helpline Number	0124-6771700 OR 1800 11 1700 (Toll Free)
Email	nberegistrations@prometric.com
Official Website	http://www.fmge.nbe.gov.in/

NBE Candidate Care will be closed on the following day:

11<sup>th</sup> October 2016 (Tuesday) : Dussehera 12<sup>th</sup> October 2016 (Wednesday) : Moharrum

14<sup>th</sup> November 2016 (Monday) : Guru Nanak's Birthday

7. Important websites:

a. National Board of Examinations: www.natboard.edu.in

b. Medical Council of India: www.mciindia.org



### संपर्क करें

- कृपया समूची प्रक्रिया के जिरए आपके निर्देशन और आपके अधिकतर प्रश्नों के उत्तर पाने में सहायता के लिये इस वेबसाइट पर एफएक्यू और सूचना का प्रयोग करें।
- 2. यदि अब भी आपके मन में कुछ मुद्दे हैं, तो एनबीई अभ्यर्थी देखभाल सहायता फोन और ई—मेल पर उपलब्ध है।
- 3. इंटिग्रेटिड वायस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) उपलब्ध रहेगा जो **26 सितम्बर, 2016** को 0124–6771700 और 1800 11 1700 (टोल फ्री) पर शुरू हो रहा है।
- इस अवधि में फोन सहायता उपलब्ध होगी :
  - 26 सितम्बर, 2016 13 दिसम्बर, 2016 : 9:30 पूर्वाह्न से 5:30 सायं, सोमवार से शुक्रवार तक
  - 14 दिसम्बर, 2016 (परीक्षण विंडो) : प्रातः 8.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक
- 5. वेबमेल सहायता 26 सितम्बर, 2016 13 दिसम्बर, 2016 तक उपलब्ध रहेगी। वेबमेल से प्राप्त प्रश्नों का 3 दिनों के भीतर उत्तर दिया जायेगा। एक ही मेल को कई बार न भेजें, क्योंकि इससे प्रत्युत्तर प्रक्रिया में देरी होगी।
- एनबीई से संपर्क करें:

हेल्पलाइन नंबर	0124—6771700 अथवा 1800 11 1700 (टोल फ्री)			
मेल	nberegistrations@prometric.com			
आधिकारिक वेबसाइट	http://www.fmge.nbe.gov.in/			

एनबीई के उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित दिवसों में अवकाश रहेगा।

11 अक्टूबर, 2016 (मंगलवार) : दशहरा

12 अक्टूबर, 2016 (बुधवार) : मौहर्रम

14 नवम्बर, 2016 (सोमवार) : गुरू नानक जयंती

7. महत्वपूर्ण वेबसाइटें:

क. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड: www.natboard.edu.in

ख. भारतीय चिकित्सा परिषद्: www.mciindia.org

### **IMPORTANT DATES**

Online Registration for FMGE December 2016	26th September to 31st October, 2016		
Examination date for FMGE	14 <sup>th</sup> December, 2016		
Declaration of Results	By 15 <sup>th</sup> January, 2017		

### Instructions:

Online Registration and scheduling for FMGE Dec 2016 begins on 26th September 2016 from 7.00 am onwards.

Online applications can be accessed and completed till 23:59 hrs on 31st October, 2016.

**NOTE:** The candidates are advised to read this Information Bulletin carefully before starting online registration.



### महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

एफएमजीई दिसम्बर 2016 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण	26 सितम्बर से 31 अक्टूबर, 2016		
एफएमजीई के लिए परीक्षा की तिथियाँ	14 दिसम्बर, 2016		
परिणामों की घोषणा	15 जनवरी, 2017		

### अनुदेशः

ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर, 2016 को 23.59 बजे तक प्राप्त और पूर्ण किया जा सकता है।

टिप्पणीः उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने से पहले ध्यानपूर्वक इस सूचना बुलेटिन को पढ़ लें।

### 1. INTRODUCTION

1.1. The FMGE-Screening Test has been introduced through Screening Test Regulations 2002. As per the regulations, "An Indian citizen/Overseas citizen of India possessing a primary medical qualification awarded by any medical institution outside India who is desirous of getting provisional or permanent registration with Medical Council of India or any State Medical Council on or after 15.03.2002 shall have to qualify a screening test conducted by the prescribed authority for that purpose as per the provisions of section 13 of the Act."

### **GENERAL INSTRUCTIONS, TERMS AND CONDITIONS**

- 1.2. Applicants may kindly note that appearance in FMGE does not confer any automatic rights to secure provisional or permanent registration with the Medical Council of India or any State Medical Council. The provisional or permanent registration with the Medical Council of India or any State Medical Council is subject to fulfilling the criteria as per the Indian Medical Council Act.
- 1.3 As per the current schedule the Screening Test is conducted by National Board of Examinations in June and December every year.
- 1.4 The next session of Screening Test shall be held on **14**<sup>th</sup> **December, 2016**; online registration for the examination must be completed by **31**<sup>st</sup> **October, 2016** (by 23:59hrs).
- 1.5. Applications of candidates producing false or fabricated information shall not be considered and candidates may be further debarred from appearing in any future examinations conducted by NBE or Other Institutions.
- 1.6. Candidates should go through the INFORMATION BULLETIN carefully for eligibility criteria, scheme, and pattern of examination etc. before contacting NBE for any related queries. Queries pertaining to eligibility and other issues shall only be entertained if the information requested is not given in this bulletin or the website <a href="http://www.fmge.nbe.gov.in/">http://www.fmge.nbe.gov.in/</a>
- 1.7. Incomplete application or applications not in accordance with the prescribed instructions shall not be considered and are liable to be rejected. The examination fee shall not be refunded under any circumstances.
- 1.8. Fee shall neither be carried forward to a future date nor refunded under any circumstances. Online applications and/or their acknowledgment of submission received after the due date shall not be entertained and exam fee shall not be returned in such cases. Application once submitted cannot be withdrawn.
- 1.9. Instructions in the information-bulletin are liable to changes based on decisions taken by the NBE / MCI from time to time. There is no equity or any rights that are /or deemed to be arising in favor of the candidate.
- 1.10.NBE reserves its right to withdraw permission, if any, granted inadvertently to any candidate who is not eligible to appear in FMGE even though the admit card/roll number/testing ID has been issued or name/roll number/testing ID is displayed on the website.



### 1. परिचय

1.1. एफएमजीई—स्क्रीनिंग परीक्षा की शुरूआत स्क्रीनिंग परीक्षा विनियम 2002 के तहत की गई है। विनियमों के अनुसार "भारत से बाहर किसी चिकित्सा संस्थान से प्रदत्त प्राथमिक चिकित्सा अर्हता रखने वाला कोई भी भारतीय नागरिक जो भारतीय चिकित्सा परिषद् अथवा किसी राज्य परिषद के साथ 15.03.2002 के बाद अनंतिम अथवा स्थाई पंजीकरण प्राप्त करने का इच्छुक है, उसे अधिनियम के अनुच्छेद 13 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिये आयोजित एक स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।"

### सामान्य अनुदेश, शर्ते एवं निबंधन

- 1.2. आवेदक कृपया नोट कर लें कि एफएमजीई में उपस्थित होने मात्र से स्वतः ही भारतीय चिकित्सा परिषद् अथवा किसी राज्य चिकित्सा परिषद् के साथ अनंतिम अथवा स्थाई पंजीकरण प्राप्त करने अधिकार नहीं हो जायेगा। भारतीय चिकित्सा परिषद् अथवा किसी राज्य चिकित्सा परिषद् के साथ अनंतिम अथवा स्थाई पंजीकरण भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम के अनुरूप मानदंडों को पूरा करने के विषयाधीन है।
- 1.3. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट अपने निर्धारित समय प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर में आयोजित की जाएगी।
- 1.4. आगामी सत्र को स्क्रीनिंग टेस्ट 14 दिसम्बर, 2016 को आयोजित होगा। जिसके लिए ऑनलाइन नामांकन 31 अक्टूबर, 2016 (23:59 बजे) तक ही पूर्ण किए जाएंगे।
- 1.5. झूठी अथवा बनावटी सूचना जमा करने वाले उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उम्मीदवारों को आगे एनबीई अथवा अन्य संस्थानों द्वारा भविष्य में आयोजित किसी भी परीक्षा में उपस्थिति होने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- 1.6. उम्मीदवारों को किसी भी प्रश्न के लिये एनबीई से संपर्क करने से पहले पात्रता मानदंड, परीक्षा की योजना और पद्धित आदि के लिये ध्यानपूर्वक सूचना बुलेटिन को पढ़ लेना चाहिए। पात्रता और अन्य मुद्दों से जुड़े प्रश्नों पर केवल तभी विचार किया जायेगा यदि अनुरोध की गई सूचना इस बुलेटिन अथवा वेबसाइट <a href="http://www.fmge.nbe.gov.in/">http://www.fmge.nbe.gov.in/</a> में नहीं दी गई है।
- 1.7. अपूर्ण आवेदन अथवा जो आवेदन अनुदेशों के अनुरूप नहीं होंगे उन पर विचार नहीं किया जायेगा और अस्वीकार किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में परीक्षा फीस नहीं लौटाई जायेगी।
- 1.8. फीस किसी भी स्थिति में न तो भविष्य की तिथि के लिए आगे ले जाई जायेगी और न ही इसे वापस किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन और / अथवा देय तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तुति की पावती पर विचार नहीं किया जायेगा और परीक्षा फीस किसी भी मामले में नहीं लौटाई जायेगी। आवेदन—पत्र एक बार जमा कर दिये जाने के उपरांत वापस नहीं लिया जा सकता है।
- 1.9. सूचना बुलेटिन में अनुदेशों में समय—समय पर एनबीई / एमसीआई द्वारा लिये गये फ़ैसलों के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। उम्मीदवार के पक्ष में उत्पन्न / उत्पन्न होने वाली कोई समानता या कोई अधिकार नहीं होता है।
- 1.10. एनबीई के पास किसी उम्मीदवार को चूकवश प्रदान की गई अनुमित, यदि कोई है, को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है जो कि एफएमजीई में उपस्थित होने का पात्र नहीं है भले ही प्रवेश कार्ड / अनुक्रमांक / परीक्षा आईडी जारी कर दी गई है अथवा वेबसाइट पर नाम / अनुक्रमांक / परीक्षा आईडी प्रदर्शित कर दी गई हो।

#### Please Note that :

Issuance of admit card only confirms your successful registration for FMGE. It does not confirm your eligibility for FMGE. You are required to submit the prescribed documents to NBE through email at fmge.cc@natboard.edu.in latest by 5th December 2016 failing which your candidature for FMGE including the admit card shall stand cancelled and candidate will not be allowed to appear in the test. Fulfillment of the eligibility criteria is essential requirement for any candidate to appear in the test. Issuance of admit card does not confer any automatic right to the candidate to appear in the test or declaration of result or registration with SMC/MCI. The admit Card shall be treated as null & void incase the candidate does not fulfill the eligibility criteria prescribed as per Para-2

- 1.11. Candidates' eligibility is purely provisional and is subject to the fulfillment of eligibility criteria as prescribed in this Information Bulletin.
- 1.12. The existing schedule, pattern, policy and guidelines are for ready reference only but in no way they are or are ought to be treated as representative or acknowledgment of fact that NBE is bound to follow the same in future.
- 1.13.In case of any ambiguity in interpretation of any of the instructions/ terms/rules/ criteria regarding the determination of eligibility/conduct of examinations/ registration of candidates/information contained herein, the interpretation of National Board of Examinations will be final and binding.
- 1.14.Requests regarding the change in date / examination centre will not be entertained under any circumstances. Candidates are advised not to canvass for or submit such representations.
- 1.15. Absentees from the examination shall forfeit their examination fee.
- 1.16. Candidates MUST bring to the test centre the following documents. Unfair means case shall be registered against the candidate submitting False/Forged documents.
  - 1. Printed copy of Admit card with photo pasted on it. AND
  - 2. Any one of the authorized photo IDs\*\* (must be original and valid/ non-expired):
    - PAN card
    - Voter ID
    - Passport
    - Driving License
    - Aadhaar Card (with Photograph)

\*\*The name on the photo identification must match with the name as shown on the Admit card. If name has been changed due to events such as marriage, candidate must show the relevant document mentioned at the time of test (Marriage Certificate/Divorcee Decree/Legal Name Change Document).

The examination test centre staff on duty is authorized to verify the identity of candidates and may take steps to verify and record the identity of candidates. Candidates are required to extend requisite cooperation.



### कृपया नोट कर लें कि:

प्रवेश-पत्र जारी किया जाना केवल एफएमजीई के लिये आपके सफल पंजीकरण की पुष्टि करता है। यह एफएमजीई के लिये आपकी पात्रता की पुष्टि नहीं करता है। आपको निर्धारित दस्तावेज एनबीई की ई-मेल fmge.cc@natboard.edu.in पर अधिकतम 5 दिसम्बर, 2016 तक जमा करना अपेक्षित है, अन्यथा प्रवेश-पत्र सित एफएमजीई के लिये आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जायेगी और उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमित नहीं दी जायेगी। पात्रता मानदंड पूरा करना परीक्षा में उपस्थित होने के लिये किसी भी उम्मीदवार के लिये अनिवार्य अपेक्षा है। प्रवेश-पत्र जारी किये जाने से उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने अथवा परिणाम की घोषणा अथवा एसएमसी/एमसीआई के साथ पंजीकरण का स्वतः कोई अधिकार नहीं हो जाता है। यदि उम्मीदवार पैरा-2 के अनुसार पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता है तो प्रवेश-पत्र को रद्द समझा जायेगा।

- 1.11. उम्मीदवार की पात्रता पूर्णतः अनंतिम है और इस सूचना बुलेटिन में यथा निर्धारित मानदंडों को पूरा किये जाने के विषयाधीन है।
- 1.12. वर्तमान अनुसूची, पद्धित, नीति और दिशानिर्देश केवल तत्काल संदर्भ के लिये हैं लेकिन किसी भी तरह से वे अथवा उन्हें यह तथ्य का प्रतिनिधि अथवा पावती नहीं समझ लिया जाना चाहिये कि एनबीई भविष्य में इन्हें लागू करने के लिए बाध्य है।
- 1.13. किसी भी अनुदेश / शर्तों / नियमों / पात्रता के निर्धारण / परीक्षा के आयोजन / उम्मीदवारों के पंजीकरण / यहां उल्लिखित सूचना की व्याख्या को लेकर अनेकार्थकता के किसी भी मामले में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।
- 1.14. तिथि / परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाता है। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे इसके लिये कोई अनुरोध अथवा अभ्यावेदन न करें।
- 1.15. परीक्षा से अनुपस्थित व्यक्ति की परीक्षा फीस जब्त हो जायेगी।
- 1.16. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के लिये निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आना चाहिए:
  - 1. प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि फोटो सहित अथवा
  - 2. कोई एक प्राधिकृत फोटो पहचान पत्र (मूल कॉपी अनिवार्य और वैध / समय सीमा समाप्त न हुआ हो)
    - पैन कार्ड
    - वोटर आईडी
    - पासपोर्ट
    - ड्राइविंग लाइसेंस
    - आधार कार्ड (फोटोग्राफ के साथ)

"आपके फोटो पहचान पर नाम प्रवेश कार्ड में दर्शाए गए नाम के साथ अवश्य मेल खाता हो। यदि नाम में विवाह आदि के कारण परिवर्तन हो गया है, उम्मीदवार को परीक्षा के समय वर्णित संगत दस्तावेज अवश्य दिखाना होगा। (विवाह प्रमाण–पत्र/तलाक की डिक्री/कानून नाम परिवर्तन दस्तावेज)

ड्यूटी पर तैनात परीक्षा टैस्ट केंद्र स्टाफ को उम्मीदवारों की पहचान का सत्यापन करने का अधिकार है और उम्मीदवारों की पहचान के सत्यापन तथा रिकार्ड की पहचान करने के कदम उठा सकता है। उम्मीदवारों को अपेक्षित सहयोग करना अपेक्षित है।



- 1.17. Candidates should ensure before applying for the registration that they possess a primary medical qualification, which is confirmed by the concerned Indian Embassy, to be a recognized qualification for enrolment as medical practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated. If it is found at any point of time that their primary medical qualification is not recognized, the candidature/result shall be cancelled/ deemed to be cancelled.
- 1.18.All the correspondence should preferably be addressed by e-mail. The e-mail query shall be addressed only if it is not anonymous and contains the name, postal address and contact telephone number of the sender. An e-mail containing vague or general queries that are contained in the Information Bulletin shall not be entertained. Queries shall not be entertained from persons claiming themselves to be a representative/associates or officiates of the applicant candidate. The following information shall not be revealed on phone or by email:
  - a) Internal documentation /status.
  - b) Internal Decision making process of National Board of Examinations
  - c) Any claim /counter claim thereof.
  - d) Dates & venue of internal meetings or name of the staff/officers dealing.
  - e) Any information, which in the view of NBE cannot be revealed.
- 1.19.In any case of any dispute of interpretation in bilingual version, English version of the bulletin shall be applied and followed.
- 1.20.FMGE shall be conducted by NBE at various exam centres engaged for the purpose. Candidates are advised to familiarize themselves with the route and location of the exam centre; location maps for all test centres are available on the website.
- 1.21.A Demo Exam is available for the benefit of candidates to familiarize themselves with the Computer Based Test format on website <a href="http://www.fmge.nbe.gov.in">http://www.fmge.nbe.gov.in</a> Applicants will be able to access the Demo Test from 1st November, 2016 onwards upon entering their testing ID (issued upon successful completion of the registration & scheduling process).
- 1.22.As per Non-Disclosure Agreement, FMGE is a proprietary examination and is conducted only by National Board of Examinations. The contents of this exam are confidential, proprietary and are owned by National Board of Examinations. NBE explicitly prohibits the candidate from publishing, reproducing or transmitting any or some contents of this exam, in whole or in part, in any form or by any means verbal or written, electronic or mechanical or for any purpose. No content of this exam must be shared with friends, acquaintances or third parties including sharing through online means or via social media. Social media includes but not limited to SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter, Hangouts, Blogs etc using either one's own account or proxy account(s). Violation of any act or breach of the same shall be liable for penal action and cancellation of the candidature at the bare threshold.
- 1.23. Possession/Use of mobile phones/Electronic devices is strictly prohibited in the premises of NBE test Centres. Candidates shall be liable for penal action for Possession/ Use of Mobile phones/ Electronic devices.



- 1.17. उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके पास उस देश में मेडिकल प्रेक्टिशनर के तौर पर नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त अर्हता के लिये, प्राथमिक चिकित्सा अर्हता है, जिसकी संबंधित भारतीय दूतावास से पुष्टि की गई है, जिसमें उक्त अर्हता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि उनकी प्राथमिक चिकित्सा अर्हता मान्यता प्राप्त नहीं है, उम्मीदवारी /परिणाम रह/रह के समकक्ष मान लिया जायेगा।
- 1.18. सभी पत्राचार वरीयतन ई—मेल से भेजा जाना चाहिए। ई—मेल प्रश्न पर तभी कार्रवाई जायेगी जब यह अनाम नहीं होगी और इसमें प्रेषक का नाम, डाक पता और संपर्क टेलीफोन नंबर होगा। अस्पष्ट और सामान्य प्रश्नों, जो कि सूचना बुलेटिन में मौजूद हैं, वाले ई—मेल पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक उम्मीदवार का प्रतिनिधि, सहयोगी अथवा स्थानापन्न बताने वाले किसी व्यक्ति के ई—मेल पर विचार नहीं किया जायेगा। फोन अथवा ई—मेल से निम्नलिखित सूचना उज़ागर नहीं की जायेगी:
  - क) आंतरिक प्रलेखन / दर्ज़ा
  - ख) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया
  - ग) कोई दावा / इसका मुकाबिल दावा
  - घ) आंतरिक बैठकों की तिथि और स्थान अथवा संबद्ध स्टाफ / अधिकारियों के नाम
  - ङ) कोई अन्य सूचना जो कि एनबीई की राय में उज़ागर नहीं की जा सकती है।
- 1.19. द्विभाषी रूपांतर में व्याख्या के किसी विवाद के मामले में, बुलेटिन के अंग्रेजी रूपांतर को प्रयोग में लाया जायेगा और इसका पालन किया जायेगा।
- 1.20. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा एफएमजीई इस उद्देश्य के लिये बनाये गये परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जायेगी। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे स्वयं को परीक्षा केंद्र के मार्ग और स्थान से सुपरिचित रखें; सभी परीक्षा केंद्रों के लिए स्थान मानचित्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- 1.21. वेबसाइट <a href="http://www.fmge.nbe.gov.in">http://www.fmge.nbe.gov.in</a> पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा स्वरूप से स्वयं को सुपरिचित कराने के वास्ते उम्मीदवारों के लाभ के लिये एक व्यावहारिक परीक्षा उपलब्ध है। आवेदक अपनी टेस्टिंग आईडी (पंजीकरण एवं अनुसूची प्रक्रिया के सफलतापूर्वक के पूर्ण होने पर जारी की गई) की प्रविष्टि करने पर 1 नवम्बर 2016 से व्यावहारिक परीक्षा तक पहुंचने में सक्षम होंगे।
- 1.22. उम्मीदवार कृपया नोट कर लें कि एफएमजीई के लिए पंजीकरण कराये जाने पर वे ग़ैर प्रकटीकरण समझौता (एनडीए) के तहत आ जाते हैं; एनडीए के अनुसार उम्मीदवार कोई भी प्रश्न अथवा प्रश्न पत्र के अंश की सामग्री अथवा अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति अथवा पक्ष अथवा वेबसाइट अथवा ऐसे किसी मीडिया / प्रकाशन को प्रकट नहीं कर सकते। एनडीए के उल्लंघन के किसी भी कृत्य से कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, कृपया नोट कर लें कि यह एक दंडनीय अपराध है और दहलीज़ पर ही उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जायेगा। उम्मीदवार द्वारा पंजीकरण पूरा करने पर एफएमजीई के लिए सूचना बुलेटिन और सूचना बुलेटिन में वर्णित शर्तों एवं निबंधन को पढ़ लिया, उनके प्रति सहमित और स्वीकार्यता मान ली जायेगी।
- 1.23. एनबीई परीक्षा केंद्रों के परिसरों में मोबाइल फोन / इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करना निषेध है। मोबाइल फोन / इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने वाले / प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।



- 1.24. The jurisdiction for court cases/disputes shall be within the exclusive jurisdiction of competent courts at Delhi/New Delhi only.
- 1.25.Instructions in the booklet are liable to change based on decisions taken by the Government / Medical Council / Competent Authority / Court decisions from time to time. Applicants are required to refer to the latest bulletin or corrigendum that may be issued to incorporate these changes. Refer NBE website <a href="http://www.fmge.nbe.gov.in/">http://www.fmge.nbe.gov.in/</a> for latest updates or corrigendum.
- 1.26. Online registration for FMG Screening test must be completed by **31**st **October**, **2016** (23:59 hrs).
- 1.27.No Queries of the Guardians/Parents will be entertained on telephone with regard to the eligibility and disclosures of the results.
- 1.28.Applicants, for eligibility criteria or any such query, should go through the bulletin carefully before writing to NBE office.
- 1.29.Submission of incomplete online application or applications not in accordance with instructions will not be considered and the candidates will be declared ineligible. In such cases, the entire fees will be forfeited.
- 1.30.Applicants are required to submit all the requisite annexures with the copy of acknowledgment e-mail received after successful online registration; lack of relevant annexure shall lead to cancellation of application form and the entire fees will be forfeited.
- 1.31.Applicants should have passed the Primary Medical Qualification i.e. MBBS or Equivalent degree on/before 30<sup>th</sup> November, 2016 and must submit proof of passing the same. In absence of Proof of Passing primary medical qualification on/before the cut off date, the application shall be treated as incomplete and fees will be forfeited and candidature shall be cancelled.
- 1.32. The foreign medical degrees should be attested either by the Embassy of India or should be Apostilled by the appropriate authority of the foreign country. Copy of the same should also be submitted. Kindly note that the apostile/attestation is to be as per the screening test regulations (amendment) dated 25<sup>th</sup> June 2015.
  - For details regarding Apostilled documents, candidates may refer to the website of Ministry of External Affairs (<a href="https://www.meaindia.nic.in">www.meaindia.nic.in</a>)
- 1.33. Applicants are advised to fill their mobile/phone number, postal and email address correctly.
- 1.34. Fees once paid will neither be carried forward to a future date nor be refunded under any circumstances. Fee should be remitted through payment gateway provided using a Credit Card or a Debit Card issued by banks in India or through Net Banking.
- 1.35. Applications of applicants producing false or fabricated records will not be considered and such applicants will be further debarred from appearing in the future examinations of NBE. Action as deemed appropriate by NBE will be taken if false or fabricated records/information is submitted or any unfair means are used.
- 1.36. Notifications, regulations etc. issued by Government of India, Medical Council of India may be referred for eligibility criteria, pattern, schedule of exam.
- 1.37. There is no provision for re-totaling/re-evaluation.



- 1.24. अदालती मामलों / विवादों का कार्याधिकार क्षेत्र केवल दिल्ली / नई दिल्ली में सक्षम अदालतों के विशिष्ट कार्याधिकार क्षेत्र के भीतर होगा।
- 1.25. बुकलेट में दिये गये अनुदेशों में सरकार/चिकित्सा परिषद्/सक्षम प्राधिकारी/अदालती फ़ैसलों के आधार पर समय—समय पर परिवर्तन किये जा सकते हैं। उम्मीदवारों को नवीनतम बुलेटिन अथवा शुद्धिपत्र का संदर्भ लेना अपेक्षित है जो कि इन परिवर्तनों में शामिल किये जा सकते हैं। अद्यतन जानकारी अथवा शुद्धिपत्र के लिये एनबीई वेबसाइट http://www.fmge.nbe.gov.in/ का संदर्भ लें।
- 1.26. एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण **31 अक्टूबर, 2016 (23:59 बजे)** तक अवश्य पुरा कर लिया जाना चाहिए।
- 1.27. पात्रता और परिणामों की घोषणा के संबंध में संरक्षकों / अभिभावकों से टेलीफोन पर किसी तरह की पूछताछ पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 1.28. आवेदकों को पात्रता मानदंड अथवा किसी अन्य प्रश्न के लिये एनबीई कार्यालय को लिखने से पहले ध्यानपूर्वक सूचना बुलेटिन को पढ़ लेना चाहिए।
- 1.29. अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति अथवा जो आवेदन अनुदेशों के अनुरूप नहीं हैं, उन पर विचार नहीं किया जायेगा और उम्मीदवारों को अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। ऐसे मामलों में संपूर्ण फीस जब्त कर ली जायेगी।
- 1.30. आवेदकों को सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण के उपरांत प्राप्त पावती ई—मेल की प्रति के साथ अपेक्षित सभी अनुलग्नक जमा करना अपेक्षित है, संगत अनुलग्नकों के अभाव में आवेदन प्रपत्र रद्द हो सकता है और संपूर्ण फीस जब्त कर ली जायेगी।
- 1.31. आवेदकों ने 30 नवम्बर, 2016 को / से पहले प्राथमिक चिकित्सा अर्हता अर्थात एमबीबीएस अथवा समकक्ष डिग्री अवश्य उत्तीर्ण कर ली होनी चाहिए और इसे उत्तीर्ण करने का सबूत जमा किया जाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा अर्हता को उत्तीर्ण किये जाने का सबूत कट ऑफ तिथि को / से पहले प्रस्तुत न किये जाने पर आवेदन को अपूर्ण समझा जायेगा और फीस जब्त कर ली जायेगी तथा उम्मीदवारी रद्द हो जायेगी।
- 1.32. विदेश चिकित्सा डिग्रियां या तो भारत के दूतावावास से सत्यापित की गई होनी चाहिए अथवा बाहरी देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित (Apostilled) होनी चाहिए। इसकी भी जमा की जानी चाहिए। कृप्या नोट करलें कि अभिप्रमाणन / सत्यापन स्क्रीनिंग परीक्षा विनियम (संशोधन) दिनांक 25 जून-2015 के अनुरूप किया होना चाहिये।
  - अभिप्रमाणित दस्तावेजों के संबंध में विवरण के लिये उम्मीदवार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट (www.meaindia.nic.in) का संदर्भ लें।
- 1.33. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना मोबाइल/फोन नंबर, डाक और ई–मेल पते को सही प्रकार से भरें।
- 1.34. फीस का एक बार भुगतान कर दिये जाने पर न तो इसे आगे की भविष्य की तिथि के लिये अग्रसारित किया जायेगा और न ही किसी भी स्थिति में लौटाया जायेगा। फीस भारत में बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए पेमैंट गेटवे के जिरये जमा की जानी चाहिए।
- 1.35. झूठे अथवा बनावटी रिकार्ड जमा करने वाले आवेदकों के आवेदन—पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवेदकों को एनबीई की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में उपस्थिति होने से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। यदि कोई झूठी या बनावटी सूचना प्रस्तुत की गई अथवा कोई अनुचित तरीके अपनाये गये तो एनबीई द्वारा यथा उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई की जायेगी।
- 1.36. सूचनाएं, नियम आदि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, पात्रता मानदंड, पैटर्न, परीक्षा के कार्यक्रम के लिए भेजा जा सकता है।
- 1.37. फिर से योग / मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

### 2. ELIGIBILITY CRITERIA

The Applicant must meet/fulfill the following criteria:

- 2.1. He / She is a citizen of India or Overseas Citizen of India.
- 2.2. The candidate should possess a primary medical qualification, which is confirmed by the Indian Embassy concerned, to be a recognized qualification for enrolment as medical practitioner in the country in which the institution awarding the said qualification is situated.
- 2.3. Cut-off date for obtaining the Primary Medical Qualification is on or before **30<sup>th</sup> November, 2016**.
  - It is mandatory to provide proof/documentary evidence in support of the candidate having passed final examination for such a primary medical qualification/posses the primary medical qualification on or before the cut-off date. In the event of the date of issue of result/proof of primary medical qualification being after the prescribed cut off date, the application form shall be rejected and candidate declared as ineligible.
- 2.4. Candidate seeking provisional or permanent registration shall not have to qualify the Screening Test if he/she holds an Under Graduate medical qualification from Australia/ Canada/New Zealand/United Kingdom/United States of America and the holder thereof has also been awarded a Post Graduate medical qualification in Australia/Canada/ New Zealand/ United Kingdom/United States of America and has been recognized for enrolment as medical practitioner in that country.
- 2.5. Applicants/Candidates may also refer to Screening Test Regulations and Regulations on Graduate Medical Education, Eligibility Certificate Regulations issued by Medical Council of India. The same may be referred to at www.mciindia.org or obtained from Secretary, Medical Council of India, Sector-8 Pocket-14, Dwarka, New Delhi. Telephone: 25367033, 25367035, Fax: 25367024.



### 2 पात्रता मानदड

आवेदक को निम्नलिखित मानदंड अवश्य रखने / पूरे करने चाहिए:

- 2.1. वह भारत का नागरिक हो अथवा भारत का प्रवासी नागरिक हो।
- 2.2. उम्मीदवारों के पास उस देश में मेडिकल प्रेक्टिशनर के तौर पर नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त प्राथमिक चिकित्सा अर्हता होनी चाहिए, जिसकी संबंधित भारतीय दूतावास से पुष्टि की गई है, जिसमें उक्त अर्हता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है।
- 2.3. प्राथमिक चिकित्सा अर्हता प्राप्त करने के लिए कट—ऑफ तिथि 30 नवम्बर, 2016 या इससे पूर्व है। कट ऑफ तिथि को या इससे पहले ऐसी प्राथमिक चिकित्सा अर्हता के लिये अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने / प्राथमिक चिकित्सा अर्हता रखने के समर्थन में उम्मीदवार के लिये सबूत / दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। प्राथमिक चिकित्सा अर्हता का परिणाम / सबूत निर्धारित कट ऑफ तिथि के बाद की तिथि को जारी होने की स्थिति में आवेदन प्रपत्र नामंजूर हो जायेगा और उम्मीदवार को अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।
- 2.4. उम्मीदवार जिनके पास यदि आस्ट्रेलिया / कनाडा / न्यूज़ीलैंड / यूनाइटेड किंग्डम / संयुक्त राज्य अमरीका से स्नातक पूर्व चिकित्सा अर्हता है और इसे धारण करने वालों को आस्ट्रेलिया / कनाडा / न्यूज़ीलैंड / यूनाइटेड किंग्डम / संयुक्त राज्य अमरीका से स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता भी प्रदान की गई है और उस देश में मेडिकल प्रेक्टिशनर के तौर पर नामांकन के लिए मान्यता प्रदान की गई है, उन्हें अनंतिम अथवा स्थाई पंजीकरण के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनी होगी।
- 2.5. आवेदक / उम्मीदवार स्क्रीनिंग परीक्षा विनियमों और स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमों, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र विनियमों का भी संदर्भ ले सकते हैं। इसका www.mciindia.org पर संदर्भ लिया जा सकता है अथवा सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद्, सेक्टर–8, पॉकेट–14, द्वारका, नई दिल्ली, टेलीफोन: 25367033, 25367035, फैक्स : 25367024 से प्राप्त किया जा सकता है।

### 3. EXAMINATION FEE

#### 3.1. Amount

FMGE: Rs. 5500/-

The above fee is inclusive of examination fees and information bulletin. Please note that Information Bulletin will not be sold separately. Information Bulletin shall be available at website for reference.

### 3.2. How To Pay:

The prescribed registration fee should be remitted through payment gateway provided using a Credit Card or a Debit Card issued by banks of India or through Net Banking.

- 3.3. Candidates remaining absent from the examination will forfeit their examination fee. Candidates are advised to read the rule position carefully and satisfy the terms and conditions for fulfillment of eligibility criteria before proceeding for payment of fees.
- 3.4. FEES SHALL NEITHER BE REFUNDED NOR CARRIED FORWARD IF THE APPLICATION FOR FMGE IS REJECTED/CANDIDATURE IS FOUND TO BE INELIGIBLE



## 3. परीक्षा शुल्क

### 3.1. राशि

एफएमजीई : रु. 5500 / -

उपर्युक्त फीस में परीक्षा फीस और सूचना बुलेटिन की राशि सम्मिलित है। कृपया नोट कर लें कि यह सूचना बुलेटिन अलग से बेचा नहीं जाएगा। संदर्भ के लिए सूचना बुलेटिन वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

### 3.2. आवेदन कैसे करें:

निर्धारित पंजीकरण फीस नेट बैंकिंग द्वारा अथवा भारत के बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए पेमैंट गेटवे के जरिए जमा की जानी चाहिए।

- 3.3. परीक्षा से अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा फीस जब्त कर ली जायेगी। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे फीस का भुगतान करने से पूर्व नियमों की स्थिति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए शर्तों एवं निबंधन से संतुष्ट हो जायें।
- 3.4. यदि एफएमजीई के लिये आवेदन-पत्र नामंजूर हो जाता है/उम्मीदवार अपात्र पाया जाता है तो फीस न तो लौटाई जायेगी और न ही अग्रसारित की जायेगी।

### 4. SCHEME OF EXAMINATION

### Foreign Medical Graduate Screening Test (FMGE)

- 4.1. The exam consists of one paper, comprising 300 multiple choice, single correct response questions in English language only, delivered in two parts to be taken in a single day.
- 4.2. The examination shall be a multiple choice questions test delivered using computer network as per prescribed scheme.
- 4.3. Negative Marking: There shall be no negative marking.
- 4.4. Allocation of time for the FMGE shall be as follows:

	Part – A	Part - B
Candidate Entry Time at Reporting Counter	9:00 AM	02:15 PM
Reporting Counter Entry Closes	9:30 AM	02:45PM
Check-in Procedure	9:00 AM to 10:00AM	02:15 to 03:15 PM
Test Start Time*	10:00 AM	03:15 PM
Test End Time	12:45 PM	05:45 PM

<sup>\*</sup> including 15 minutes tutorial.

**Note: FMGE** is divided into two parts of 150 questions each with time allocation of 150 minutes for each part. There is a scheduled break between the two parts.

Candidates are required to report at the 'Reporting Counter' at 9:00 AM for Part One and 2:15 PM for Part Two (one hour prior to the start time). The reporting counter will close 30 minutes prior to the test start time. Candidate who fails to report to the reporting counter by the stipulated time as indicated above shall not be allowed to test.

- 4.5. The screening test is held twice a year in June and December, the exact dates for the Screening Test will be announced on the website before the respective registration window.
- 4.6. An applicant shall be declared as having passed only if he/she obtains a minimum of 150 marks out of 300 in the examination.
- 4.7. Results (Pass/Fail) for eligible candidates will be displayed on NBE website and at NBE office.
- 4.8. There are no restrictions on number of attempts that can be availed by an applicant.



### 4. परीक्षा की योजना

### विदेश चिकित्सा स्नातक स्क्रीनिंग परीक्षा (एफएमजीई)

- 4.1. परीक्षा में अंग्रेज़ी में एकल दिवस में दो भागों में होने वाली परीक्षा के लिये 300 बहु—विकल्प प्रकार के, एकल सही उत्तर वाले प्रश्न शामिल किये जायेंगे।
- 4.2. परीक्षा में निर्धारित योजना के अनुरूप कम्प्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करते हुए बहु—विकल्प प्रकार के प्रश्नों वाला टैस्ट होगा।
- 4.3. नकारात्मक अंकः कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा।
- 4.4. एफएमजीई के लिए समय का आबंटन निम्नानुसार होगा :

	भाग–क	भाग–ख
रिपोर्टिंग काउंटर पर उम्मीदवार के प्रवेश का समय	प्रातः 9:00 बजे	अप. 2:15 बजे
रिपोर्टिंग काउंटर बंद होगा।	प्रातः 9:30 बजे	अप. 2:45 बजे
चैक-इन प्रक्रिया	प्रातः 9:00 बजे से 10:00 बजे	अप. 2:15 बजे से 3:15 बजे तक
परीक्षा शुरू होने का समय	प्रातः 10:00 बजे	अप. 3:15 बजे
परीक्षा समाप्त होने का समय	अप. 12:45 बजे	अप. 05:45 बजे

<sup>\* 15</sup> मिनट ट्यूटोरियल सहित।

नोटः एफएमजीई को दो भागों में रखा गया है। प्रत्येक भाग में 150 प्रश्नों के लिए 150 मिनट का समय होगा। दोनों भागों के मध्य में अन्तरात भी होगा।

उम्मीदवारों को पहले भाग के लिए प्रातः 9:00 बजे से और दूसरे भाग के लिए अप. 2:15 बजे रिपोर्टिंग काउंटर पर रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग काउंटर टेस्ट समय आरंभ होने 30 मिनट पूर्व बंद कर दिया जाएगा जो उम्मीदवार निर्धारित समय के अंतर्गत रिपोर्टिंग काउंटर पर रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे वे टेस्ट में भाग नहीं ले पाएंगे।

- 4.5. स्क्रीनिंग परीक्षा जून और दिसंबर में दो बार आयोजित की जाती है, स्क्रीनिंग परीक्षा की सही तिथियां निम्नानुसार हैं जो एनबीई की वेबसाइट www.natboard.edu.in/fmge पर देखी जा सकती है।
- 4.6. आवेदक को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा यदि उसने परीक्षा में 300 अंकों में से न्यूनतम 150 अंक प्राप्त किये होंगे।
- 4.7. पात्र उम्मीदवारों के लिए परिणाम (उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण) एनबीई वेबसाइट और एनबीई कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा।
- 4.8. अवसरों की संख्या की कोई सीमा नहीं है जिनका आवेदक लाभ उठा सकता है।

# 5. REGISTRATION FOR EXAMINATION, ADMIT CARD AND DEMO TEST

- 5.1. The examination shall be conducted on 14th December, 2016.
- 5.2. Candidates have the option of choosing their test centre through online registration and scheduling system. Availability is on a first come, first serve basis, and candidates will only be shown options that are available at the point of scheduling
- 5.3. REQUESTS FOR CHANGE OF CENTRE ARE NOT ENTERTAINED once the candidate schedules his/her examination. Candidates are advised not to canvass for the same.
- 5.4. At the end of Registration & Scheduling process the applicant will get a computer generated acknowledgment at the registered email ID of the applicant. Admit card will be issued to candidate once the registration and scheduling process is successfully completed.
- 5.5. Candidate is required to print a copy of admit card and affix a latest passport size photograph of the following specifications on the admit card.
- 5.6. Specifications for Photograph
  - A photograph of minimum 35x45 mm with at least 75% coverage of face & head of the candidate.
  - A caption indicating name of candidate and date of taking photograph should be there at the bottom of photo.
  - Photograph should be taken in a white /very light colored background.
  - The photograph needs to display full front view of the face. Please look directly into the camera with a neutral expression.
  - Please avoid photograph with reflection or shadow on the face with red eyes.
  - The photograph needs to be printed on a high quality paper with at least 600 dpi resolutions.
  - The colours must possess the natural appearance and skin tone.
  - The photograph must not have kinks, scratches and stains.



### 5. परीक्षा के लिए पंजीकरण, प्रवेश कार्ड और अभ्यास परीक्षा

- 5.1. परीक्षा 14 दिसम्बर, 2016 को आयोजित की जायेगी।
- 5.2. उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन पंजीकरण और अनुसूचीकरण प्रणाली के जिरये अपने परीक्षा केंद्र को चुनने का विकल्प होगा। उपलब्धता पहले आओ, पहले पाओ आधार पर है, और उम्मीदवार को अनुसूचीकरण के समय केवल उपलब्ध विकल्प ही दर्शाए जायेंगे।
- 5.2. एक बार उम्मीदवार को अपनी परीक्षा शेड्यूल कर लिये जाने पर केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा
- 5.3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसके लिये सिफारिश न करें।
- 5.4. पंजीकरण और अनुसूचीकरण प्रक्रिया के अंत में आवेदक को आवेदक की पंजीकृत ई—मेल आईडी पर कम्प्यूटर सृजित पावती प्राप्त होगी। पंजीकरण और अनुसूचीकरण प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद उम्मीदवार को प्रवेश—पत्र जारी किया जाएगा।
- 5.5. उम्मीदवार के लिये प्रवेश पत्र की प्रति का प्रिंट होना अपेक्षित होगा और प्रवेश पत्र पर निम्नलिखित विशिष्टताओं के साथ नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं।
- 5.6. फोटोग्राफ के लिये विशेषताएं:-
  - उम्मीदवार के चेहरे और सिर की कम से कम 75 प्रतिशत कवरेज के साथ न्यूनतम 35x45 एमएम आकार का एक फोटोग्राफ।
  - फोटो के नीचे एक कैप्शन होनी चाहिये जिसमें उम्मीदवार का नाम और फोटोग्राफ लिए जाने की तिथि का उल्लेख किया गया हो।
  - फोटोग्राफ श्वेत / बहुत हल्के रंग की पृष्ठभूमि में ली गई होनी चाहिये।
  - फोटोग्राफ में चेहरा सामने से पूरा दिखाई देना चाहिये। कृपया प्राकृतिक अभिव्यक्ति के साथ कैमरे
     में सीधा देखें।
  - कृपया लाल आंखों के साथ चेहरे पर किसी परछाई अथवा रिफलेक्शन के साथ फोटोग्राफ से बचें।
  - फोटोग्राफ कम से कम 600 डीपीआई रेजोल्यूशन के साथ उच्च गुणवत्ता के कागज पर प्रिंट किया जाना आवश्यक है।
  - रंग प्राकृतिक दिखाई देने चाहिये और स्किन टोन के अनुरूप हों।
  - फोटोग्राफ में सनक, खरोंच, दाग नहीं होना चाहिये।



- 5.7. Candidates MUSTbring to the test centre the following documents:
  - 1. Printed copy of Admit card with photo pasted on it.

#### AND

- 2. Any one of the authorized photo IDs\*\* (must be original and valid non-expired):
  - PAN card
  - Voter ID
  - Passport
  - Driving License
  - Aadhaar Card (with Photograph)
- \*\*The name on the photo identification must match with the name as shown on the Admit card. If name has been changed due to events such as marriage, candidate must show the relevant document mentioned at the time of test (Marriage Certificate/ Divorcee Decree/Legal Name Change Document).
- 5.8. Candidates may kindly note that they have to report on the time as indicated in the admit card and para 4.4 of this Information Bulletin. Candidates reporting late or beyond the prescribed time shall not be allowed to appear in the test.

### Please Note that:

Issuance of admit card only confirms your successful registration for FMGE. It does not confirm your eligibility for FMGE. You are required to submit the prescribed documents to NBE through email at fmge.cc@natboard.edu.in latest by 5th December 2016 failing which your candidature for FMGE including the admit card shall stand cancelled and candidate will not be allowed to appear in the test. Fulfillment of the eligibility criteria is essential requirement for any candidate to appear in the test. Issuance of admit card does not confer any automatic right to the candidate to appear in the test or declaration of result or registration with SMC/MCI. The admit Card shall be treated as null & void incase the candidate does not fulfill the eligibility criteria prescribed as per Para-2

5.9. A Demo Test to provide candidates with the feel and functionality of the actual exam will be available on FMGE website <a href="http://www.fmge.nbe.gov.in">http://www.fmge.nbe.gov.in</a> from 1st November 2016 onwards. Candidates registered for FMGE can undertake the Demo Test prior to the actual exam window. Candidates are advised to go through the Demo Test carefully to familiarize themselves with the screens, layout and navigation.



- 5.7. उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य लेकर आना चाहिए:
  - 1. प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि फोटो सहित

#### अश्रव

- 2. कोई एक प्राधिकृत फोटो पहचान पत्र (मूल कॉपी अनिवार्य और वैध / समय सीमा समाप्त न हुआ हो)
  - पैन कार्ड
  - वोटर आईडी
  - पासपोर्ट
  - डाइविंग लाइसेंस
  - आधार कार्ड (फोटोग्राफ के साथ)
  - \*\*आपके फोटो पहचान पत्र का नाम आपके प्रवेश कार्ड में दर्शाए अनुसार अवश्य मेल खाता हो। यदि आपके नाम में विवाह आदि के कारण परिवर्तन हुआ है तो आपको परीक्षा के समय नीचे वर्णित संगत दस्तावेज अवश्य दिखने चाहिए: विवाह प्रमाण–पत्र / तलाक डिक्री / कानून नाम परिवर्तन दस्तावेज
- 5.8. उम्मीदवार कृपया नोट कर लें कि उन्हें प्रवेश कार्ड और इस सूचना बुलेटिन के पैरा 4.4 में यथा उल्लिखित समय पर रिपोर्ट करनी चाहिए। देरी से अथवा निर्धारित समय के उपरांत रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

### कृपया नोट कर लें कि:

प्रवेश-पत्र जारी किया जाना केवल एफएमजीई के लिये आपके सफल पंजीकरण की पुष्टि करता है। यह एफएमजीई के लिये आपकी पात्रता की पुष्टि नहीं करता है। आपको निर्धारित दस्तावेज एनबीई की ई-मेल fmge.cc@natboard.edu.in पर अधिकतम 5 दिसम्बर, 2016 तक जमा करना अपेक्षित है, अन्यथा प्रवेश-पत्र सिहत एफएमजीई के लिये आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जायेगी और उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमित नहीं दी जायेगी। पात्रता मानदंड पूरा करना परीक्षा में उपस्थित होने के लिये किसी भी उम्मीदवार के लिये अनिवार्य अपेक्षा है। प्रवेश-पत्र जारी किये जाने से उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने अथवा परिणाम की घोषणा अथवा एसएमसी/एमसीआई के साथ पंजीकरण का स्वतः कोई अधिकार नहीं हो जाता है। यदि उम्मीदवार पैरा-2 के अनुसार पात्रता मानदंड पूरा नहीं करता है तो प्रवेश-पत्र को रदद समझा जायेगा।

5.9. वास्तविक परीक्षा के बारे में उम्मीदवारों को अनुभूति और कार्यात्मकता उपलब्ध करवाने के लिये एक व्यावहारिक परीक्षा एफएमजीई वेबसाइट <a href="http://www.fmge.nbe.gov.in/">http://www.fmge.nbe.gov.in/</a> पर नवम्बर 2016 से उपलब्ध होगी। एफएमजीई के लिये पंजीकृत उम्मीदवार वास्तविक परीक्षण खिड़की से पूर्व व्यावहारिक परीक्षा संचालित कर सकते हैं। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे स्क्रीन्स, लेआउट और नेविगेशन से स्वयं को सुपरिचित करने के लिये ध्याननूर्वक व्यावहारिक परीक्षा को देख लें।

### 6. REPORTING TIME FOR FMGE

Candidates may note that the reporting time refers to the time at which the candidate reaches the Reporting counter at the test centre. Candidate who fails to report to the reporting counter by the stipulated time as indicated in para 4.4 shall not be allowed to enter the examination premises that is Reporting counter and beyond. The candidate should arrive at the Reporting counter at least one hour before the commencement of exam. This allows for security checks, identity verification, image capture, bio-metric capture etc. The reporting counter will close 30 minutes prior to the exam start time. The following shall be undertaken upon reporting at the counter:

- 6.1. ID verification The original documents as have been indicated will be checked in original.
- 6.2. Security Checks including frisking.
- 6.3. Capture of finger prints The finger prints of all candidates shall be captured electronically and candidates are requested to cooperate with the on duty staff with this process.
- 6.4. Capturing of digital image As a security measure digital image of the reporting candidates shall be captured and taken on record.
- 6.5. The test centre administrator /on duty staff shall guide the candidate to the assigned work station
- 6.6. Signing-in to the computer system:
  - Kindly note that the reporting time has been indicated to timely complete the foregoing activities as well as to familiarize the candidate with the process.
  - Candidates may note that they will not be allowed entry to the test centre after 09.30am for the exam for the morning session and after 2.45 PM for the afternoon session.
  - Candidates are also advised to check the requirement for mandatory documents on Testing Day and comply with the same.
  - NBE/ Test centre / Designated Agency /Staff on duty shall not be liable under any circumstances for delayed reporting and /or non presentation of mandatory documents
- 6.7. Please note the test day proceeding may be video recorded.



### 6. एफएमजीई के लिए रिपोर्टिंग समय

उम्मीदवार नोट कर लें कि रिपोर्टिंग समय से आशय परीक्षा केंद्र में रिपोर्टिंग काउंटर पर उम्मीदवार के पहुंचने के समय से है। जो उम्मीदवार पैरा 4.4 में यथा इंगित निर्धारित समय पर रिपोर्टिंग काउंटर पर रिपोर्ट करने में असफल रहता है उसे परीक्षा परिसरों अर्थात रिपोर्टिंग काउंटर और इससे आगे प्रवेश करने की अनुमित नहीं दी जायेगी। उम्मीदवार को रिपोर्टिंग काउंटर पर परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घण्टे पहले पहुंच जाना चाहिए। इससे सुरक्षा जांच, पहचान के सत्यापन, इमेज लेने, बायो मीट्रिक विवरण आदि लेने में सुविधा होगी। रिपोर्टिंग काउंटर परीक्षा के शुरुआत समय से 30 मिनट पहले बंद हो जायेगा। काउंटर पर रिपोर्टिंग करते ही निम्नलिखित संचालित किया जायेगाः

- 6.1. आईडी सत्यापन- यथा उल्लिखित मूल दस्तावेजों की जांच की जायेगी।
- 6.2. तलाशी सहित सुरक्षा जांच।
- 6.3. फिंगर प्रिंट्स लेना— सभी उम्मीदवारों के फिंगर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक रूप में लिये जायेंगे और उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस प्रक्रिया में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के साथ सहयोग करें।
- 6.4. डिजिटल इमेज लेना—सुरक्षा उपाय के तौर पर रिपोर्टिंग उम्मीदवारों की डिजिटल इमेज ली जायेगी और रिकार्ड में ली जायेगी।
- 6.5. परीक्षा केंद्र प्रशासक / ड्यूटी पर तैनात स्टाफ उम्मीदवार को कार्य स्थान सौंपने में मार्गनिर्देशन करेगा।
- 6.6. कम्प्यूटर सिस्टम में साइनिंग इनः
  - कृपया नोट कर लें कि पूर्वगामी गतिविधियों को समय पर पूरा करने के साथ—साथ उम्मीदवारों को प्रक्रिया से सुपरिचित कराने के लिये रिपोर्टिंग समय का उल्लेख किया गया है।
  - उम्मीदवार नोट कर लें कि उन्हें परीक्षा के लिए प्रातः 09.30 बजे (प्राप्त सत्र) 2.45 बजे (दोपहर सत्र) के बाद परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  - उम्मीदवारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि परीक्षा वाले दिन अनिवार्य दतावेजों की अपेक्षा को जांच लें और इनका अनुपालन करें।
  - देरी से रिपोर्टिंग करने और/अथवा अनिवार्य दस्तावेज जमा न करने के लिए एनबीई/ परीक्षा केंद्र/पदनामित एजेंसी/ड्यूटी पर तैनात स्टाफ जिम्मेदार नहीं होगा।
- 6.7. कृपया नोट करें परीक्षा की विडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है।

# 7. CENTRES FOR FMGE, REPORTING AT CENTRE & TEST DAY PROCEDURE

### 7.1. The list of various cities where Examination centres are located is as under:

S. No.	City	S. No.	City	S. No.	City
1	Ahmedabad	15	Guwahati	29	New Delhi
2	Aurangabad	16	Hyderabad	30	NOIDA
3	Bangalore	17	Indore	31	Goa
4	Bhopal	18	Jaipur	32	Pune
5	Bhubaneswar	19	Jammu	33	Raipur
6	Chandigarh	20	Jamshedpur	34	Ranchi
7	Chennai	21	Kolkata	35	Surat
8	Cochin	22	Kozhikode	36	Trichy
9	Coimbatore	23	Lucknow	37	Trivandrum
10	Dehradun	24	Mangalore	38	Udaipur
11	Durgapur	25	Mumbai /Thane	39	Varanasi
12	Gandhinagar	26	Mysore	40	Vijayawada
13	Greater NOIDA	27	Nagpur	41	Visakhapatnam
14	Gurgaon	28	Navi Mumbai		



# 7. एफएमजीई के लिये केंद्र, केंद्र पर रिपोर्टिंग और परीक्षा दिवस प्रक्रिया

7.1 विभिन्न शहरों की सूची जहां परीक्षा केंद्र स्थित हैं, निम्नानुसार है:

क्र.सं.	शहर	क्र.सं.	शहर	क्र.सं.	शहर
1	अहमदाबाद	15	गुवाहाटी	29	नई दिल्ली
2	औरंगाबाद	16	हैदराबाद	30	नोएडा
3	बैंगलोर	17	इंदौर	31	गोवा
4	भोपाल	18	जयपुर	32	पूणे
5	भुवनेश्वर	19	जम्मू	33	रायपुर
6	चण्डीगढ़	20	जमशेदपुर	34	रांची
7	चेन्नई	21	कोलकाता	35	सुरत
8	कोचीन	22	कोजहीकोडे	36	त्रिची
9	कोयमबटूर	23	लखनऊ	37	त्रिवेन्द्रम
10	देहरादून	24	मंगलौर	38	उदयपुर
11	दुर्गापुर	25	मुम्बई / थाणे	39	वाराणसी
12	गांधीनगर	26	मैसूर	40	विजयवाड़ा
13	ग्रेटर नोएडा	27	नागपुर	41	विशाखापत्तनम
14	गुड़गांव	28	नवी मुम्बई		



- 7.2. The candidate shall appear at the centre as shown on his/her Admit Card at his/her own cost. Candidates have the option of choosing their examination centre through online registration and scheduling system. Availability is on a first come, first serve basis, and candidates will only be shown options that are available at the point of scheduling.
  - a) Test Centre Location: Exact address and location of the test centres is available at the FMGE website <a href="http://www.fmge.nbe.gov.in/">http://www.fmge.nbe.gov.in/</a>. Candidates are advised to familiarize themselves with the test centre locations and ensure that they report for the exam as per scheduled time only. Maps and directions to each centre are available on FMGE website <a href="http://www.fmge.nbe.gov.in/">http://www.fmge.nbe.gov.in/</a>. Candidates are required to plan their travel accordingly.
  - b) Candidates have to reach the test centres on or before the reporting time, i.e., one hour prior to the exam start time. Candidates may note that no late arrivals are allowed 30 minutes prior to the exam start time under any circumstances. NBE shall not be responsible for any delayed arrival of the candidate in reaching the centre due to any reason.
  - c) All candidates at the centre shall be screened as per the security protocol (para 7.4) and biometric information shall be captured.
  - d) Identity checks will be made upon arrival at the test centre to ensure that there are no unauthorized candidates appearing for the exam. Candidates are required to cooperate with the security checks.
  - e) Please note that only the registered candidates will be allowed at the examination centre.
  - f) Friends or relatives accompanying the candidates will not be allowed entry in the examination centre under any circumstances and will not be allowed to contact the candidate while the examination process is ongoing.

### 7.3. REPORTING OF CANDIDATES TO THE CENTRE

- a) The candidates should arrive at the test centre at the reporting time mentioned in the admit card on the day of scheduled appointment. This will allow time for security checks, identity verification and checking in for examination. Candidates are required to report at the 'Reporting Counter' at 9:00 AM for Part One and 2:15 PM for Part Two (one hour prior to the start time). The reporting counter will close 30 minutes prior to the test start time. Candidate who fails to report to the reporting counter by the stipulated time as indicated above shall not be allowed to test.
- b) Candidates MUST bring to the test centre the following documents:
- 1. Printed copy of Admit card with photo pasted on it. AND
- 2. Any one of the authorized photo IDs\*\* (must be original and valid non-expired):
  - PAN card
  - Voter ID
  - Passport
  - Driving License
  - Aadhar Card (with photograph)



- 7.2. उम्मीदवार उनके प्रवेश-पत्र में दर्शाए गये केंद्र पर स्वयं के खर्च पर उपस्थित होंगे। उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन पंजीकरण और अनुसूचीकरण प्रणाली के जिरये अपने परीक्षा केंद्र को चुनने का विकल्प होगा। उपलब्धता पहले आओ, पहले पाओ आधार पर है, और उम्मीदवार को अनुसूचीकरण के समय केवल उपलब्ध विकल्प ही दर्शाए जायेंगे।
  - क) परीक्षा केंद्र का स्थान परीक्षा केंद्रों का वास्तविक पता और स्थान एफएमजीई वेबसाइटः www.natboard.edu.in/fmge पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे परीक्षा केंद्र के स्थानों से स्वयं को सुपरिचित कर लें और सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र पर केवल निर्धारित समय पर रिपोर्ट की जाये। प्रत्येक केंद्र के लिये नक्शा और निर्देशन एफएमजीई वेबसाइट www.natboard.edu.in/fmge पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को तदनुसार यात्रा कार्यक्रम बनाना अपेक्षित है।
  - ख) उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने से एक घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा आरंभ होने के आधा पश्चात उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार के परीक्षा केन्द्र पर देरी से पहुँचने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।
  - ग) केंद्र पर सभी उम्मीदवारों की सुरक्षा प्रोटोकोल (पैरा 7.4) के अनुरूप जांच की जायेगी और बायोमीट्रिक सूचना प्राप्त की जायेगी।
  - घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि परीक्षा हेतु कोई अनिधकृत उम्मीदवार तो उपस्थित नहीं हो रहा है परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर पहचान की जांच की जायेगी।
  - ङ) कृपया नोट कर लें कि केवल पंजीकृत उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
  - च) उम्मीदवार के साथ आने वाले मित्रों अथवा संबंधियों को किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमित नहीं दी जायेगी और परीक्षा प्रक्रिया जारी रहने के समय उम्मीदवार से संपर्क करने की अनुमित नहीं दी जायेगी।

### 7.3. केंद्र पर उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग

- क) उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि को प्रवेश कार्ड में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय पर परीक्षा केंद्र में पहुंच जाना चाहिए। इससे परीक्षा के लिये सुरक्षा जांच, पहचान के सत्यापन और जांच के लिये पर्याप्त समय मिल जायेगा। उम्मीदवारों के लिये रिपोर्टिंग काउंटर पर ''भाग—एक'' के लिये प्रातः 09.00 बजे और ''भाग—दो'' के लिये अपराहन 2.15 बजे (परीक्षा शुरू होने के समय से एक घण्टा पहले) रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्टिंग काउंटर परीक्षा शुरू होने के समय से 30 मिनट पूर्व बंद कर दिया जायेगा। जो उम्मीदवार ऊपर वर्णित निर्धारित समय पर रिपोर्टिंग काउंटर पर रिपोर्ट करने में असफल रहते हैं उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ख) उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आना चाहिए :
- 1. प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि के साथ उम्मीदवार की फोटो सहित और
- 2. कोई एक प्राधिकृत फोटो पहचान पत्र (मूल कॉपी अनिवार्य और वैध / समय सीमा समाप्त न हुआ हो)
  - पैन कार्ड
  - वोटर आईडी
  - पासपोर्ट
  - ड्राइविंग लाइसेंस
  - आधार कार्ड (फोटोग्राफ के साथ)



\*\*The name on the photo identification must match with the name as shown on the Admit card. If name has been changed due to events such as marriage, candidate must show the relevant document mentioned at the time of test (Marriage Certificate/Divorcee Decree/Legal Name Change Document).

c) Candidates without valid ID proof shall not be allowed to enter the examination premises.

#### 7.4. SECURITY AT THE TEST CENTRE

Candidates will not be allowed to take mobile phones, watches, food items, study material, lockets, bags, electronic gadgets or any other prohibited items inside the examination premises. To avoid any hardship candidates are advised not to bring such items along with them

Finger prints of all the candidates will be captured and candidates are requested to cooperate with this essential activity to avoid any cases of impersonation. This is a security feature which will also ensure that only genuine and bonafide candidate appear for the exam. Photograph and signature of the candidates shall also be captured on the exam day at the centre.

### 7.5. TEST DAY PROCEDURES

- a) After verification of ID and capture of biometrics and digital signatures, candidates will be escorted to the designated computer terminal at the test centre.
   A Test Centre Administrator (TCA) will check in the candidate
- b) Candidates are required to keep their admit card and photo identification at all times during the conduct of examination.
- c) Pencils, eraser and rough paper will be distributed to each candidate. No need to bring stationary /writing material to test centre.
- d) Candidates are required to listen to the TCA's instructions to begin the exam.
- e) During the exam, candidate may use the rough paper to do the rough work.
- f) Each workstation will be blocked from three sides front, left and right. Candidates are advised not to look around at other candidates as there will be surveillance cameras that will record both audio and video.
- g) Any suspicious or disruptive behavior on part of the candidate may lead to cancellation of candidature.
- h) For any issues during the exam, candidate may raise his or her hand to notify TCA/ Invigilator.
- i) In case of any disruption, rest assured that a registered candidate will get to take the exam again within the testing/examination window.
- j) All rough paper must be returned to the TCA after the test. Any attempt to take the rough papers out of the test centre will be considered disruptive behavior and liable for disqualification.



\*\*आपके फोटो पहचान पत्र का नाम आपके प्रवेश कार्ड में दर्शाए अनुसार अवश्य मेल खाता हो। यदि आपके नाम में विवाह आदि के कारण परिवर्तन हुआ है तो आपको परीक्षा के समय नीचे वर्णित संगत दस्तावेज अवश्य दिखने चाहिए: विवाह प्रमाण–पत्र / तलाक डिक्री / कानून नाम परिवर्तन दस्तावेज।

ग) वैध आईडी प्रमाण के बगैर उम्मीदवारों को परीक्षा परिसरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

### 7.4. परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा

उम्मीदवारों को परीक्षा परिसरों के अंदर मोबाइल फोन, घड़ी, खाद्य वस्तुएं, अध्ययन सामग्री, लॉकेट, बैग, इलेक्ट्रानिक कउपरण अथवा कोई अन्य निषेध वस्तु ले जाने की अनुमित नहीं दी जायेगी। किसी तरह की किठनाई से बचने के लिये उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऐसी मदें अपने साथ लेकर न आएं।

सभी उम्मीदवारों के उंगलियों के निशान लिये जायेंगे और उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे छदमरूपण के किसी भी मामले से बचने के लिये इस अनिवार्य गतिविधि में सहयोग करें। यह एक सुरक्षा फ़ीचर है जिससे यह भी सुनिश्चित होगा कि परीक्षा के लिये वास्तविक और प्रमाणित उम्मीदवार उपस्थित हों। परीक्षा वाले दिन केंद्र पर उम्मीदवारों का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा।

### 7.5. परीक्षा दिवस प्रक्रियाएँ

- क) पहचान पत्र के सत्यापन और बायोमीट्रिक्स तथा डिजिटल हस्ताक्षर लिए जाने के उपरांत, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित कम्प्यूटर टर्मिनल तक ले जाया जायेगा। परीक्षा केंद्र प्रशासक (टीसीए) उम्मीदवार की जांच करेगा।
- ख) उम्मीदवारों के लिये परीक्षा के आयोजन के दौरान हर समय अपना पहचान कार्ड और फोटो पहचान—पत्र अपने साथ रखना अपेक्षित है।
- ग) प्रत्येक उम्मीदवार को पेन्सिल, इरेजर और रफ पेपर वितरित किया जायेगा। परीक्षा केंद्र में स्टेशनरी/लेखन सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है।
- घ) उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू करने के लिये टीसीए के निर्देशों को सुनना चाहिये।
- ङ) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार रफ काम के लिये रफ कागज का इस्तेमाल करना चाहिए।
- च) प्रत्येक वर्कस्टेशन को तीन तरफ से —सामने से, बाएं और दाएं, ब्लॉक किया जायेगा। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि अन्य उम्मीद्वारों की तरफ न देखें क्योंकि वहां निगरानी कैमरा होंगे जो ऑडियो और विडियो दोनों रिकार्ड करेगा।
- छ) उम्मीदवार की ओर से कोई भी संदिग्ध अथवा व्यवधान वाला व्यवहार किये जाने से उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
- ज) परीक्षा के दौरान कोई भी मुद्दा होने पर उम्मीदवार टीसीए / परीक्षक का ध्यान आकृष्ट करने के लिये अपना हाथ उठा सकता है।
- झ) कोई व्यवधान होने पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंजीकृत उम्मीदवार को परीक्षण / परीक्षा खिडकी में दोबारा परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हो।
- ञ) सभी रफ कागज परीक्षा के उपरांत टीसीए को अवश्य लौटाया जाना चाहिए। रफ कागजों को परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाने का कोई भी प्रयास व्यवधान वाला व्यवहार माना जायेगा और अयोग्य ठहराया जा सकता है।

# 8. INSTRUCTIONS FOR ONLINE REGISTRATION & SCHEDULING

- 8.1. The online registration & scheduling form for FMGE is available on http://www.fmge.nbe.gov.in from 26<sup>th</sup> September to 31<sup>st</sup> October 2016.
- 8.2. Candidate may note that there is no option for submitting the form other than the online mode.
- 8.3. Candidates are advised to go through the Registration Guide before proceeding to complete their registration & scheduling process. Once the candidate has completed his/her scheduling process, there will be no option to reschedule.
- 8.4. Online registration & scheduling must be completed by the prescribed cutoff date. At the end of Registration process the applicant will get a computer generated acknowledgment. All fields marked \* in the online registration form are mandatory. During online registration, the candidate is required to choose his/her examination centre at which he/she shall be taking the test. The availability of centre is on first come first serve basis. In case a candidate does not get any centre in a particular city, he/she should opt for examination centre in another city.
- 8.5. Applications of the candidates producing false or fabricated information will not be considered and the candidates may be further debarred from appearing in any future examinations
- 8.6. Please refer Registration Guide available on <a href="http://www.fmge.nbe.gov.in/">http://www.fmge.nbe.gov.in/</a> for instructions to fill online application form.
- 8.7 The candidate has to submit to NBE the following Self attested documents along with the copy of acknowledgment e-mail received after successful online registration:
  - Copy of MBBS Pass (in English/Hindi)
  - Copy of MBBS Pass certified by the Embassy /Apostiled
  - Copy of Address Proof (PAN Card /Voter ID /Passport /Driving License)
  - Two Photographs (as per Para 5.6)
  - Annexure B
  - Copy of Date of Birth Proof (Certificate of Matriculation)
  - Copy of Passport of the applicant (Front Page & Last Page Personal Information)
  - Copy of 10+2 passing certificate
  - Copy of 10+2 mark sheet
  - Copy of internship certificate (if done abroad)
  - Copy of Eligibility Certificate issued by Medical Council of India (if applicable)
  - Copy of fail certificate /result for Ex-candidates.
  - Equivalence Certificate: From Association of Indian Universities (for candidates who have done 10+2 abroad)
    - Candidates are required to submit the aforesaid self attested scanned documents at <a href="mailto:fmge.cc@natboard.edu.in">fmge.cc@natboard.edu.in</a> latest by 5th December 2016.
    - Candidates who fail to submit the documents to NBE as indicated herein above and / or do not fulfill the eligibility criteria will not be allowed to appear in the screening test.



### 8. ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अनुदेश

- 8.1. एफएमजीई के लिए ऑनलाइन पंजीकरण **26 fl rEcj ls31 vDVvj] 2016** तक वेबसाइट **http://www.fmge.nbe.gov.in/** पर उपलब्ध है।
- 8.2. उम्मीदवार नोट कर लें कि ऑनलाइन पद्धति के अलावा आवेदन जमा का कोई और विकल्प नहीं है।
- 8.3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पंजीकरण और अनुसूचीकरण प्रक्रिया को पूरा करने से पहले पंजीकरण गाइड को पढ़ लें। एक बार उम्मीदवार के अपनी अनुसूचीकरण प्रक्रिया को पूरा कर लिये जाने के बाद पुनः अनुसूचीकरण का कोई विकल्प नहीं रहेगा।
- 8.4. ऑनलाइन पंजीकरण निर्धारित कट ऑफ तिथि को अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिए। आप ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने की पावती प्रिंट कर पायेंगे। सभी चिन्हित 'क्षेत्र अनिवार्य है। ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान उम्मीदवार के लिये अपना परीक्षा केंद्र चुनना अपेक्षित है जहां पर वे परीक्षा देना चाहेंगे। केंद्र की उपलब्धता पहले आओ पहले पाओ आधार पर है। यदि किसी उम्मीदवार को किसी खास शहर में कोई केंद्र प्राप्त नहीं होता है उसे अन्य शहर में परीक्षा केंद्र का विकल्प चुनना चाहिये।
- 8.5. झूठी अथवा बनावटी सूचना प्रदान करने वाले उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उम्मीदवारों को भविष्य में किसी परीक्षा में उपस्थित होने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- 8.6. <a href="http://www.fmge.nbe.gov.in/">http://www.fmge.nbe.gov.in/</a> पर ऑनलाईन परीक्षा फार्म भरने में किसी भी सहायता / निर्देश के लिए नामांकन गाइड की सहायता ले सकते हैं।
- 8.7 आवेदकों को सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण के उपरांत प्राप्त पावती ई—मेल की प्रति के साथ एनबीई में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगेः
  - एमबीबीएस उत्तीर्ण की प्रति (अंग्रेजी / हिंदी में)
  - दूतावास से प्रमाणित / एपोस्टाइल्ड एमबीबीएस उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र की प्रति
  - पते के सबूत की प्रति (पैन कार्ड / वोटर आईडी / पासपोर्ट / ड्राईविंग लाइसेंस)
  - दो फोटोग्राफ (पैरा 5.6 के अनुसार)
  - परिशिष्ट-ख
  - जन्म तिथि के सबूत की प्रति (मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र)
  - आवेदक के पासपोर्ट की प्रति (प्रथम पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ-व्यक्तिगत सूचना)
  - 10+2 प्रमाणपत्र की प्रति
  - 10+2 की अंक शीट की प्रति
  - इंटर्निशिप प्रमाण-पत्र की प्रति (यदि विदेश में की है)
  - भारतीय चिकित्सा परिषद से जारी पात्रता प्रमाणपत्र की प्रति (यदि लागू है)
  - पूर्व-उम्मीदवारों के लिये असफल प्रमाणपत्र/परिणाम की प्रति
  - समकक्षता प्रमाण-पत्रः भारतीय विश्वविद्यालय संघ से (उन उम्मीदवारों के लिये जिन्होंने 10+2 विदेश से की है)

उम्मीदवारों को अभिप्रमाणित स्कैन दस्तावेज <u>fmge.cc@natboard.edu.in</u> पर अधिकतम 5 दिसम्बर 2016 तक जमा करने होंगे।

जो उम्मीदवार दस्तावेज जमा करने में असफल होते हैं / पूरा नहीं करते, एनबीई उन्हें स्क्रीनिंग परीक्षा में पात्रता मानदंड प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देगा।

# 9. CAUTION NOTICE, NON DISCLOSURE AGREEMENT, UNFAIR MEANS, DISCLAIMER & RESULTS

#### 9.1. Caution Notice

- a) Candidates are advised to refer to FMGE website <a href="http://www.fmge.nbe.gov.in/">http://www.fmge.nbe.gov.in/</a> and Information Bulletin for authentic information and periodic updates about the FMGE and conduct of counseling thereafter.
- b) Candidates are advised not to be allured by claims of any party or person or institute for qualifying FMGE examination or securing seat as per the regulations.
- c) Candidates are advised to bring any such information to notice of NBE by e-mail at mail@natboard.edu.in

### 9.2. Non Disclosure Agreement

- a) FMGE is a proprietary examination and is conducted only by National Board of Examinations. The contents of this exam are confidential, proprietary and are owned by National Board of Examinations. NBE explicitly prohibits the candidate from publishing, reproducing or transmitting any or some contents of this exam, in whole or in part, in any form or by any means verbal or written, electronic or mechanical or for any purpose.
- b) No content of this exam must be shared with friends, acquaintances or third parties including sharing through online means or via social media. Social media includes but not limited to SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter, Hangouts, Blogs etc. using either one's own account or proxy account(s).
- c) By registering for and /or appearing in FMGE the candidate explicitly agrees to the above Non Disclosure Agreement and general terms of use for FMGE as contained in this Information Bulletin, FMGE website.
- d) Violation of any act or breach of the same shall be liable for penal action and cancellation of the candidature at the bare threshold.

#### 9.3. Unfair Means -

If during the course of training / examination, a candidate is found indulging in any of the following, he/she shall be deemed to have use unfair means.

- If a candidate is found to have made a wrong statement in his/her application form for admission to the examinations / counseling /training or has attempted to secure or has secured admission to any of the examinations of NBE by making a false statement or by production of a false document.
- If at any stage a candidate has tampered with any entry in the certificate or statement
  of marks or any certificate issued by any governmental or non-governmental body
  or any other document that has been issued to him/ her by the Board.